

The Manager,
 MOTHER TERESA SR SEC SCHOOL INAYATPUR BHOPAL MP
 MOTHER TERESA SEC CO-ED SCHOOL, KOLAR ROAD, GRAM INAYATPUR
 MADHYA PRADESH, BHOPAL, 462026
 (M: 0755-2879294)

SUBJECT: -Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level.

This is with reference to school application on the subject cited above. In this connection, I am directed to convey the approval of the Board for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	1030154
School No	50130
Affiliated for	Extension of General Affiliation
Category	Extension of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2022 to 31.03.2027

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy thereof for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)

XXX-Part.—21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक 6363/98

यह प्रमाणित किया जाता है कि वकाला वाजपेई एड्मोकेशन सोसायटी
समिति जो Li. 6/9 हषिवधनि, तहसील इजर
नगर भोपाल

जिला भोपाल में स्थित है, मध्यप्रदेश

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44)

के अधीन 21.9.98 को पंजीयित की गई है ।

दिनांक इफ्तीस माह सितम्बर सन् 1998



(शरद चन्द्र तिवारी)
समितियों के रजिस्ट्रार

PRINCIPAL
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

CHAIRMAN
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

(53)

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल
बल्लभ मदन भोपाल-462004

प्रमाणिक संक 73-15/20-5/2001,

भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव,
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
 नई दिल्ली ।

विषय:- मदन टेरेता सीनियर सेकेण्डरी स्कूल भोपाल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनावृत्त प्रमाण पत्र वापस ।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय मदन टेरेता सीनियर सेकेण्डरी स्कूल भोपाल को विशेष प्रकार मानकर नियमों में छूट देते हुये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर अनावृत्त प्रमाण पत्र देता है :-

1. संस्था द्वारा संस्था की कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि तन्मितिर्ण करना अनिवार्य होगा ।

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्धता मिलने के उपरान्त भी राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करने हेतु तन्मिति माध्यम होगी एवं आवश्यकतानुसार जिला शिक्षा अधिकारी संस्था का निरीक्षण कर लेंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

CHAIRMAN
 Mother Teresa Senior Secondary
 Co-Ed School
 Kolar Road, Bhopal-462004

आर.के.भार्या
 अवर सचिव

PRINCIPAL
 Mother Teresa Senior Secondary
 Co-Ed School
 Kolar Road, Bhopal-462004

प्रमाणिक संक 73-15/2001/20-5,


तन्मितिर्ण:- आशुत लो. शि. भोपाल को ओर सं. प्र. शिक्षा/सी/14/2001/178 दि. 17.8.2001 के तदर्थ में सुचनाएं ।

2/ जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ।

3/ अध्यक्ष/आचार्य, मदन टेरेता सीनियर सेकेण्डरी स्कूल कोलार रोड भोपाल को ओर सुचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अशेषित है ।

अवर सचिव
 म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (BHOPAL), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक:/3221121995/स्कूल आई.डी. - 382
प्रति,

दिनांक:- 30/03/2019

प्रबंधक,

(MOTHER TERESA SENIOR SECONDARY CO-ED SCHOOL, BHOPAL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 07/01/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -MOTHER TERESA SENIOR SECONDARY CO-ED SCHOOL, BHOPAL, INAYATPUR, KOLAR ROAD, POST. BAIRAGARH, CHICHLI, BHOPAL को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कॅंपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

PRINCIPAL
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

CHAIRMAN
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएँ निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	किराए का भवन	किराए का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	318423	318423
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	146583	70002
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	171840	301413

ड. अधोसंरचना का विवरण

	कक्षा	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
			संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा		76	750	76	750
2	कार्यालय कक्षा-सह-भण्डार कक्षा-सह-प्रधानाध्यापक कक्षा		6	750	6	750
3	भोजनालय-सह-भण्डार		0	0	0	0

च. अन्य सुविधाएँ

		पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	11430	11400
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	32	32
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	4	4
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	82	82
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	60	60
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	0	0
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..3221121995.. एवं डाईसकोड (DISE) 23320304504 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला BHOPAL मध्यप्रदेश



PRINCIPAL
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

CHAIRMAN
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

SKY SCRAPER

Rajesh Kumar Charuasia

A-63, Banjari Colony, Kolar Road, Bhopal
Registration No.: 042/Date 04 May 2016

Mob.: 9425008878
E-mail: rajeshasy@gmail.com

Authorized Structural Engineer by the Commissioner Municipal Corporation Bhopal As per the MP Govt. Notification Dated 27th Nov. 2015 to Grant Building Permission up to size 300.00 Sqm.


023/STRUCTUR
No...../ASE/2021


Bhopal Dated: 10/03/2021

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

Certified that The Mother Teresa Senior Secondary Co-Ed School at Inayatpura, Kolar Road, Bhopal comprised of ground floor and three upper floors owned by Smt. Mukul Bajpai and occupied by The Varun Bajpai Education Society have complied with the Building Bye Laws in accordance with rule of State/UT, and incorporate the provisions of building safety as specified in National Building Code 2005, 2016 and as amended thereafter and has been verified by the concerned officer on 10.03.2021 in the presence of Mr. B.S Bajpai (Chairman) and that the said above building/premises is safe and fit for running School with effect from 2001 for a period of 50 years in accordance with rules.


Issued on 10.03.2021 at Bhopal by

Signature with Seal: 
SKY SCRAPER.
RAJESH KUMAR CHARUASIA
STRUCTURE ENGINEER-STE-168-2016
A-63, Banjari Colony, Kolar Road, Bhopal
M.-9425008878


PRINCIPAL
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

Designation: Authorized Structural Engineer
By the Commissioner Municipal Corporation Bhopal

To
The Mother Teresa Sr Sec Co-ed School,
Kolar Road, Bhopal (M.P.)


CHAIRMAN
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

Registration letter of Authorised Architect/Structural Engineer for
Building Permission

Office of the Municipal Corporation/Municipality Nagar Parishad



Registration No. - 42

Date: 04/05/2016


I Commissioner (Name of authority), hereby authorize Shri/Mrs. Rajesh Kumar Chaurasia (Name of Architect/Structural Engineer) to issue building permission on plots admeasuring up to 3000 sq. meter. This registration shall be valid till 04/05/2021. This registration shall be subject to following condition:-

Condition

1. This Registration shall be non Transferable.
2. Authorised Architect/Structural Engineer shall display the original copy of this registration letter on a conspicuous place of his office.
3. Authorised Architect/Structural Engineer shall get renewed the registration before the date of its expiry.
4. Authorised Architect/Structural Engineer shall abide but the provisions of Madhya Pradesh Bhumivikash Niyam 2012 and shall work with in the terms of this registration.
5. Authorised Architect/Structural Engineer shall not execute any agreement for supervision or preparation of map plans nor shall accord sanction for the plans prepared by him.
6. Authorised Architect/Structural Engineer shall put his signature on document on behalf of the authority after issuing permission with name and registration no. & submit to the authority having jurisdiction in accordance with rules.
7. This registration is subject to conditions mentioned in the Madhya Pradesh bhumivikasniyam rules, 2012. Breach of any of this condition shall entail cancellation of the registration without prejudice to an other legal action against the Authorised Architect/Structural Engineer under any law for the time being in force.

Place: Bhopal


Date: 04/05/2016




Name & address of

CHHAVI BHARDWAJ
Commissioner officer with seal
I.A.S.

Commissioner
Municipal Corporation, Bhopal


CHAIRMAN
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042


PRINCIPAL
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
M.P

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100000728/FNOC/COL/2021/9722
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 10, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 22-Mar-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : MUKUL BAJPAI VARUN BAJPAI EDUCATION SOCIETY

आवेदक का पता / Applicant Address : KH NO 7,17/1,7,17/3,6,12,13,100,103,11,14,17 21,23,24,30,7
PATWARI HALKA NO. 38, VILLAGE INAYATPUR KOLAR ROAD
BHOPAL M.P, BHOPAL 462001
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : TEMPORARY
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 7 (Acres)
संपत्ति का पता / Property Address : MOTHER TERESA SENIOR SECONDARY VILLAGE INAYATPUR
KOLAR ROAD BHOPAL M.P. BHOPAL NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100000728 भवन हेतु अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,

श्री मुकुल वाजपेयी, वरुण वाजपेयी एज्युकेशन सोसायटी
ख. नं.-7, 17/1, 7, 17/3, 6, 12, 13, 100, 103, 11, 14, 17,
21, 23, 24, 30, 7 पटवारी नं.-38 ग्राम इनायतपुरा कोलार रोड भोपाल

विषय:- श्री मुकुल वाजपेयी, वरुण वाजपेयी एज्युकेशन सोसायटी ख. नं.-7, 17/1, 7,
17/3, 6, 12, 13, 100, 103, 11, 14, 17, 21, 23, 24, 30, 7 पटवारी
नं.-38 ग्राम इनायतपुरा कोलार रोड भोपाल द्वारा मदर टेरेसा सीनियर
सेकेन्ड्री स्कूल इनायतपुरा कोलार रोड भोपाल संस्थागत भवन हेतु अस्थाई
फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

PRINCIPAL
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

CHAIRMAN
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
M.P

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100000728/FNOC/COL/2021/9722

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 10, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 22-Mar-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : MUKUL BAJPAI VARUN BAJPAI EDUCATION SOCIETY

विषयांतर्गत श्री मुकुल वाजपेयी, वरुण वाजपेयी एज्यूकेशन सोसायटी ख.
नं.-7, 17/1, 7, 17/3, 6, 12, 13, 100, 103, 11, 14, 17, 21, 23,
24, 30, 7 पटवारी नं.-38 ग्राम इनायतपुरा कोलार रोड भोपाल द्वारा
मदर टेरेसा सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल इनायतपुरा कोलार रोड भोपाल संस्थागत
भवन के 146500 वर्गफिट निर्मित क्षेत्रफल एवं 12 मीटर उँचे संस्थागत भवन हेतु
अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुआ आवेदन के साथ पूर्व
में जारी प्रोव्हीजनल फायर अनापत्ति पत्र की छायाप्रति व वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित
प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

1. श्री मुकुल वाजपेयी, वरुण वाजपेयी भोपाल को इस कार्यालय के जारी पत्र
दिनांक 22.03.2021 द्वारा अस्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया
गया है।

2. कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल के द्वारा जारी भवन अनुज्ञा में
लिखित सभी शर्तों को मान्य करना अनिवार्य होगा ।

3. बहुमंजिला भवन के लिए निर्धारित 53 बिन्दुओं के प्रपत्र पर
आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर से
जानकारी ली गई।

4. भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के अधिकारी द्वारा
भवन/संस्था के श्री एजाज खान (स्पोर्ट टीचर) की उपस्थिति
में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका
निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट
फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड

PRINCIPAL
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

CHAIRMAN
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
M.P

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100000728/FNOC/COL/2021/9722

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 10, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 22-Mar-21


आवेदक का नाम / Applicant Name : MUKUL BAJPAI VARUN BAJPAI EDUCATION SOCIETY


अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04, फायर सेफ्टी के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया गया है।

5. आवेदक को कार्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा ।

7. मदर टेरेसा सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल ईनायतपुरा कोलार रोड भोपाल म.प्र.को प्रदाय की जा रही फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र,जारी आदेश दिनांक से तीन वर्ष (3 वर्ष) की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से एक माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।


PRINCIPAL
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042


CHAIRMAN
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
M.P

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100000728/FNOC/COL/2021/9722
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 10, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 22-Mar-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : MUKUL BAJPAI VARUN BAJPAI EDUCATION SOCIETY


अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत
अस्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा
प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

**Shashwat
Singh
Meena**

Digitally signed by
Shashwat Singh Meena
Date: 2021.03.22
17:49:49 +05'30'

Additional Commissioner (Fire)
Municipal Corporation
BHOPAL Division , BHOPAL
M.P


PRINCIPAL
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042


CHAIRMAN
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042



CERTIFICATE



क्रमांक/CERT10074/2020/NOCR2210016

दिनांक : 20-12-2020


It is hereby certified that the Recognition of School MOTHER TERESA SR SEC SCHOOL, situated at INAYATPUR, KOLAR ROAD, BHOPAL, MADHYA PRADESH, District BHOPAL in the state of Madhya Pradesh bearing UDISE Code No. 23320304504 is hereby extended, for the purpose of Affiliation with the for Renew till 2024-25 under the MP State Recognition Rule (मान्यता नियम) 2017 on following terms and conditions -


1. School should admit students only up to the level for which recognition is granted. If School is found violating rules then Department is viable to take any action, including Cancellation of Recognition of School.
2. Latest Recognition Certificate of School should be displayed in School Notice Board and Principal Room.
3. School Principal/Director and Teachers are not allowed to associate with any Political groups Also, school should not allow their students to participate in any political activities during school hours.
4. School has to safely keep and maintain all accounts and records of students and staff, the same can be inspected by the departmental officials any time.
5. "Parent-Teacher Association" should be formed to ensure participation of parents of students studying in the school.
6. The school should strive for making continuous efforts to get best academic quality criteria. During each three year period, all teachers should be trained at least once in their respective teaching subjects.
7. Once approved, after due inspection, the Society/Trust will not change any of the parameters claimed at the time of recognition. School Education Department officials can inspect school premises at any time. During inspection, if Society/Trust is found not following declared standards, then Divisional Joint Director can act as given in sub-rule (1) of rule 11, and can suspend school's accreditation.
8. If School is not found to follow conditions and responsibilities given under Rule 5 and 9 as well as instructions and guidance issued by Department from time to time, the undersigned will have the power to suspend the school's recognition on the basis of investigation.
9. In case of any Explanation Call, if the reply received from Society/Trust is not found to be satisfactory, then after giving last hearing opportunity, the school's recognition can be canceled.
10. Upon withdrawal of recognition, Security Fee deposited will be fully or partly, as specified in the order, will be seized.
11. It will be mandatory to get affiliation with the Central Board Secondary Education, and follow all norms as given in Affiliation Rules 2018.
12. In case of any dispute, the jurisdiction of the Court shall be at Bhopal.
13. School should strictly follow Fee Regulation Act published by School Education Department, Govt. of MP - 'मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम - क्र. एफ-37-4-2017-20-3) published as on 26 June, 2018.

Signature valid

Signature of Rajeev Singh Tomar
(Personal)

Date : 20-Dec-2020 19:15:15 IST


PRINCIPAL
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042


CHAIRMAN
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
स्वास्थ्य विभाग

क्र. 1156/स्वा.वि./2021


भोपाल, दिनांक 17/3/2021


:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि मदर टेरेसा सिनियर सेकेण्डरी को-एड स्कूल, कोलार रोड भोपाल स्कूल परिसर का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि मदर टेरेसा सिनियर सेकेण्डरी को-एड स्कूल, परिसर में स्कूल के समस्त विद्यार्थियों एवं स्टाफ के मान से स्वच्छ पीने का पानी, वॉस बेसिन, शौचालय, सीवेज तथा साफ-सफाई से संबंधित समस्त व्यवस्थायें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं।

अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, भोपाल
नगर पालिक निगम, भोपाल


PRINCIPAL
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042


CHAIRMAN
Mother Teresa Senior Secondary
Co-Ed School
Kolar Road, Bhopal-462042



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 770456

प्ररूप-छह (नियम 6(2) देखिए)

शपथ पत्र

(विद्यालय का नाम) मदर टेरेसा सिनियर सेकेण्डरी को-एड स्कूल मान्यता क्र०-1030154 शहर/कस्बा भोपाल ब्लॉक फण्डा, जिला भोपाल विद्यालय डाईस कोड 23320304504 न्यास/समिति/उपक्रम वरुण वाजपेई एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित है।

मैं यह घोषणा करती/करती हू कि विद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) नियम, 2020 के नियम 6 के उपनियम (1) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन किया गया है, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में,

- I. पाठ्यपुस्तक
- II. स्टेशनरी
- III. पठन सामग्री
- IV. विद्यालय का बस्ता
- V. गणवेश
- VI. खेलकूद किट
- VII. परिवहन
- VIII. अन्य कोई.....

वचनपत्र

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता मदर टेरेसा सिनियर सेकेण्डरी को-एड स्कूल मान्यता क्र०-1030154 (नाम) बी.एस. बाजपेई (अध्यक्ष) (आयु: 67 वर्ष), (व्यवसाय का उल्लेख करें, विद्यालय/न्यास/उपक्रम नाम और पता) प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापक/प्रबंध न्यास/अधिकृत अधिकारी की हैसियत से (विद्यालय का नाम लिखें) : मदर टेरेसा सिनियर सेकेण्डरी को-एड स्कूल, शहर/कस्बा भोपाल विद्यालय कोड 1030154 एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेदों में किए गए कथन मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और विद्यालय के अभिलेख के आधार पर दिए गए हैं। मेरे द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है और न ही किसी गलत जानकारी को प्रस्तुत किया गया है। मुझे ज्ञात है कि झूठे शपथ पत्र तैयार करना एक दंडनीय अपराध है।

निरतर.....


CHAIRMAN
Mrs. Teresa Sr. Sec. Co-ed School
Kolar Road, Bhopal-462042



3385
11/03/2022

मदर टेरेसा सिनियर सेकेण्डरी को-एड स्कूल
शहर/कस्बा भोपाल ब्लॉक फण्दा, जिला भोपाल

एवं

वास्ते शपथ पत्र



कैलाश यादव
भुव्वांक विक्रेता
बोलार रोड भोपाल (म.प्र.)



--2--

Boisai
CHAIRMAN
Mother Teresa Sr. Sec. Co-ed School
Kolar Road, Bhopal-462042

स्थान : भोपाल
तारीख : 11/03/2022

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रबंधक/न्यासी/
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
विद्यालय का नाम: मदर टेरेसा सिनियर सेकेंड्री को-एड स्कूल
न्यास/उपक्रम/समिति का नाम वरुण वाजपेई एजुकेशन सोसायटी

इनके समक्ष पुष्टि की गई
नाम और पता :

Identified By Me

Sign.....
Name..... J. P. Jaisan
Add..... Bhopal



SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE
ME BY THE WITHIN NAMED

Uttam Samar
UTTAM SAMAR
ADVOCATE & NOTARY
Bhopal (M. P.)

11 MAR 2022

